(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक रिव्यु 4228–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2014 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 3334–पीबीआर/14.

1– दमन सिंह राजपूत पुत्र भावसिंह राजपूत
2– श्रीमती संगीता राजपूत पत्नी भावसिंह राजपूत
निवासीगण ग्राम उमरिया
तहसील अमला जिला बैतूल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती नान्ही बाई पुत्री छोटूसिंह 1–
निवासी ग्राम उमरिया
तहसील अमला जिला बैतूल ..... अनावेदिका

श्री पी0 देशमुख, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जे0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 285/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24–7–2014 के विरूद्ध तृतीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30–10–2014 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं होने से अपील अग्राह्य की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत नहीं करते हुए मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका कमांक 2 को उसकी भूमि पर जाने हेतु विधिवत रास्ता प्रदान किया गया था, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई थी, परन्तु आयुक्त द्वारा प्रकरण का बिना सूक्ष्म अवलोकन किये तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए रूढ़िगत रास्ते को अवरूद्ध किया गया है, इसलिए आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया संहिता में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नया रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये हैं, जबकि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर रूढ़िगत रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । अतः आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2014 स्थिर रखा जाता है । पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर